

<b>तारिख हुक्म</b>	<b>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</b>	<b>नम्बर अहका हुक्म को जारी हुए</b>
------------------------	---	---

21/6/16 पत्रपत्नी राजस्व लौक अदालत / डैंग कोर्ट  
 रामगढ़ में पेश हुई पत्रपत्नी का  
 स्वाम्यत्व के अन्तर्गत किया गया प्रमाण  
 ने प्रमाण पत्र के तहत से दोहराते हुए  
 कथन किया कि कुषि ग्राम खसरा नम्बर  
 27 वरुवा 5.1900 है, जहाँ खसरा रामगढ़  
 जिला-सीक से सम्बन्धित है, जिसमें  
 प्रमाण के पत्र का नाम राजस्व  
 मैकॉर्ड में गुलाम नबी गलत कोटित  
 हो गया है, प्रमाण के पत्र का  
 नाम इलिमास है, जहाँ प्रमाण पत्र  
 का निवेदन है कि प्रमाण के पत्र  
 का नाम गुलाम नबी के स्वाम्य  
 पर इलिमास इस्लाम खसरे की रूप  
 में

जहाँ पत्रपत्नी व पत्रपत्नी पर  
 उपरोक्त दरारें जात का गहनता से  
 अन्वेषण किया / तदुत्तर में  
 प्राप्त रिपोर्ट शामिल किया कि गरीब  
 तदुत्तर रिपोर्ट के अनुसार रामगढ़  
 के वर्तमान जमाब-की संवत् 2074-77  
 के अनुसार ख.क. 27 के गैरुना वहाँ  
 पत्र इलिमास है 1/2 जहाँ कामख्यामी  
 का स्वाम्यत्व

21/6/16  
 उपरोक्त अधिकारी  
 संयुक्त सचिव (सि.क.)  
 लोक अदालत / डैंग कोर्ट  
 राम पंचायत, रामगढ़

नम्बर  
अहकाम  
हुकम की  
जारी हुए।

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामिल में  
जारी हुए।

दफ्तरी कार्य पूर्व में उक्त खातेदार  
में जमाबन्दी सम्वत् 2058-61 अनुसार  
जारी कागान्तरण संख्या 1876 डि. 12.10.04  
के जारी विज्ञापन कागान्तरण ~~संख्या~~  
में गुना बाकी पत्र गुलाब नबी डि. 1/2  
किवासी मेघरा के पक्ष में स्वीकार  
हुआ है जो खातेदार उम्मी में उक्त  
कार्य जारी रजिस्ट्रार/पंजीबह इलाके का  
विज्ञापन द्वारा कपिल की श्री, इलाके  
पक्ष का सुदिकरण उचित नहीं है।  
प्रार्थना के विवादित काराजी दिनांक  
12.10.2004 से पूर्व खातेदार की उक्त  
समय का प्रार्थना के कोई इलाके का  
पक्ष नहीं किया है जिसमें प्रार्थना  
के पत्र का काम इलाका दफ्तरी  
का काराजी विवेक तथा उक्त  
विवादित काराजी रजिस्ट्रार विज्ञापन  
पत्र से कपिल होने के कारण  
द्वारा 136 L.R. सेक्ट के अन्तर्गत  
अनुसंधान दिया जाना उचित नहीं है।

काराजी

दत्त प्रार्थना का पत्र का. व. 136 L.R. सेक्ट खातेदार दिया जाता है।